




डॉ. बी. आर. चौधरी कृषि अनुसंधान केन्द्र (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)  
Dr. B. R. Choudhary Agricultural Research Station  
(Agriculture University, Jodhpur)  
मण्डोर— 342304, जोधपुर (राजस्थान)  
Mandor, Jodhpur-342 304 (Rajasthan)

No.F.21( 07)/Auction/Farm/Dr. BRCARS/MND/2024/3680

Date- 31-12-2024


### खुली नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि डॉ. बी.आर.सी. कृषि अनुसंधान केंद्र, मण्डोर, जोधपुर पर सुखी लकड़ी नीलामी हेतु मोहरबंद नीलामी बोली दिनांक-10.01.2025 को प्रातः 11:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। नीलामी से संबंधित नियम व शर्तें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट [www.aujodhpur.ac.in](http://www.aujodhpur.ac.in) पर पढ़ी जा सकती है।

  
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. संपादक दैनिक भास्कर, जोधपुर को लेख है कि नीलामी सूचना न्यूनतम आकार में जोधपुर में प्रकाशित कर बिल भुगतान के लिए कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. सूचना पट्ट

  
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान 12/24  
Zonal Director Research  
Dr. B.R. Choudhary Agricultural Research Station  
(Agriculture University, Jodhpur)  
Mandor, Jodhpur-342304

डॉ.बी.आर.सी.कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर – जोधपुर  
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

नीलामी प्रपत्र  
(सूखी लकड़ी निलामी हेतु)

निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500/- (अक्षरे रु. पाँच सौ मात्र) निविदा प्रपत्र संख्या .....  
रसीद संख्या..... दिनांक..... नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, डॉ बी.  
आर.सी. कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर (Zonal Director Research, ARS, Mandor, Jodhpur) के पक्ष में  
भुगतान योग्य होना चाहिए।

निविदा सूचना क्र. निविदा/फार्म/कृ.अ.के./मण्डोर/2024/3680 दिनांक 31.12.2024 के तहत कृषि  
अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर पर सूखी लकड़ी (वजन लगभग 150विच.-200विच.)  
नीलामी हेतु निविदा प्रपत्र धरोहर राषि रु. 5000/- (अक्षरे रु. पाँच हजार मात्र) नगद या बैंक ड्राफ्ट संख्या.....  
दिनांक..... को प्राप्त।

निविदादाता का नाम व पूरा पता:.....

दूरभाष नंबर यदि हो: ..... मोबाइल नंबर .....

क्र. सं.	विवरण	नीलामी राशि
1.	सूखी लकड़ी (वजन लगभग 150विच.-200विच.)	

किसी भी प्रकार का कर निविदादाता द्वारा दी गयी दर में सम्मिलित रहेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता


नाम व पता:.....

मोबाइल नंबर .....

डॉ. बी.आर.सी.कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर –जोधपुर  
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

सूखी लकड़ी नीलामी हेतु शर्तें

1. इच्छुक नीलामीदाता नीलामी बोली निर्धारित प्रपत्र में भरकर कार्यालय समय में दिनांक 10.01.2025 को प्रात 11.30 बजे तक बंद लिफाफे में मय धरोहर राशि रु. 5000/- (अक्षरे रु. पाँच हजार मात्र) आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
2. संस्थान के प्रक्षेत्र में सूखी लकड़ी जहां है जिस हालात में है। उनकी नीलामी की जानी है।
3. नीलामीदाता विज्ञापन के पश्चात् कार्यालय समय के दौरान सूखी लकड़ी का (जहां है जिस हालात में है) निरीक्षण कर सकता है।
4. नीलामी प्रपत्र तथा नीलामी की शर्ते कार्यालय से 500/- रूपये जमा करवाकर कार्यालय समय में दिनांक 10.01.2025 की सुबह 11.00 तक बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
5. प्राप्त प्रपत्रों का निस्तारण उसी दिन दोपहर 02.00 बजे पश्चात् उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष कर दिया जाएगा। धरोहर राशि सफल बोलीदाता को कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् असफल बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।
6. सफल बोलीदाता को 2 दिवस की अवधि में सम्पूर्ण राशि जमा करवानी पड़ेगी।
7. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा की सूखी लकड़ी लेते समय संस्थान की अचल संम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। आगे जलाना प्रतिबंधित होगा। अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बोलीदाता की स्वयं की होगी।
8. नीलामी राशि पर लगने वाला किसी भ प्रकार के कर का वहन बोलीदाता स्वयं करेगा। संस्थान किसी भी प्रकार के कर के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
9. सूखी लकड़ी को उठाने का कार्य तकनीकी कर्मचारी की देख-रेख में व संस्थान समय प्रातः 9:00 से सांय 4:00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार व अन्य राजकीय अवकाष में कार्य नहीं होगा। सूखी लकड़ीयों को बाहर ले जाने से पहले गेट पास लेना अनिवार्य है। सूखी लकड़ी को ले जाने का कार्य कार्यालय आदेश के पश्चात् 15 दिवस में पूर्ण करना होगा।
10. किसी भी प्राकृतिक आपदा एवं अन्य किसी भी कारण, सूखी लकड़ी में होने वाली नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
11. उक्त सभी कार्य नीलामीकर्ता की निगरानी में करना होगा।
12. संस्थान में किसी भी अनुसंधान प्रक्षेत्र एवं संस्थान की अन्य सम्पत्ति, पाईप लाईन, तारबंदी, पेड़-पौधे इत्यादि को बोलीदाता या अनुबंधक द्वारा कोई क्षति ना पहुँचाई जाए अन्यथा इसके लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा और इसकी भरपाई बोलीदाता द्वारा की जाएगी।
13. उपरोक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे।
14. हरी लकड़ी व हरी टहनियों को नहीं काटा जाएगा यदि ठेकेदार या अनुबंधक यह कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
15. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी अद्योहस्ताक्षकर्ता को होगा।

  
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान  
Zonal Research Station  
Dr. B.R. Chaturvedi, Ph.D., I.A.R.S.  
(Agricultural Research Station, Jodhpur)  
Jodhpur-342304